

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग


क्रमांक: प. 4(7)नविवि/II/2019

जयपुर, दिनांक:30.09.2019

संशोधन-आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.09.2019 के क्रम संख्या-5 पर अंकित श्री रामेश्वर लाल शर्मा, पद नाम अधीक्षण अभियन्ता के स्थान पर अधिशाषी अभियन्ता पढ़ा जावे।


राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,


(त्रिभुवमपति)

शासन संयुक्त सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0, जयपुर।
3. आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर।
4. शासन संयुक्त सचिव-प्रथम, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0, जयपुर।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. संबंधित कर्मचारी।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


शासन संयुक्त सचिव-प्रथम